

14-618

पञ्जावली आम कॅम्प कोर्ट मोडकी में पेश  
हुई। प्रकरण से संबंधित वाद पत्र का निस्तारण  
हो चुका है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
का आव कोर्ट उचित नहीं हो जाता। उक्त  
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की इसी स्तर पर  
खारीज किया जाता है। पञ्जावली कॅम्प  
सुभार लेकर नम्बर से कत है तथा कोर्ट  
के अन्तर्गत है।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (सुभार)